CHETANA
International Journal of Education (CIJE)
Peer Reviewed/Refereed Journal
ISSN : 2455-8279 (E)/2231-3613 (P)
Impact Factor
SJIF 2026-8.584

Prof. A.P. Sharma
Founder Editor, CIJE
(25.12.1932 - 09.01.2019)

सामाजिक समरसता और सामाजिक न्याय के संदर्भ में गांधीवाद एवं अम्बेडकरवाद : एक तुलनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन

लोकेश कुमार मीना
सहायक प्रोफेसर
सेठ आर एल सहरिया राजकीय पीजी महाविद्यालय, कालाडेरा, जयपुर
Email : luckybyadwal@gmail.com, Mobile- 9828990317

……

First draft received: 18.04.2026, Reviewed: 22.04.2026
Final proof received: 15.05.2026, Accepted: 23.06.2026

सार-संक्षेप

भारतीय समाज विविधताओं से परिपूर्ण होने के साथ–साथ जातिगत असमानता, सामाजिक विभाजन और आर्थिक विषमता जैसी समस्याओं से भी प्रभावित रहा है। सामाजिक समरसता और सामाजिक न्याय इन समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक आधार प्रदान करते हैं। आधुनिक भारत में महात्मा गाँधी और बी.आर.अम्बेडकर ने इन दोनों अवधारणाओं को अपने–अपने दृष्टिकोण से व्याख्यायित किया। गांधीजी ने सामाजिक समरसता, अहिंसा, सत्य और नैतिक सुधार पर बल दिया, जबकि डॉ. अम्बेडकर ने सामाजिक न्याय, समानता, संवैधानिक अधिकारों और जाति उन्मूलन को प्राथमिकता दी। प्रस्तुत शोध–पत्र में गांधीवाद एवं अम्बेडकरवाद के विचारों का तुलनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हुए सामाजिक समरसता और सामाजिक न्याय के संदर्भ में उनकी प्रासंगिकता का मूल्यांकन किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि सामाजिक समरसता और सामाजिक न्याय परस्पर पूरक अवधारणाएँ हैं तथा आधुनिक भारत में दोनों विचारधाराओं का समन्वय एक समावेशी समाज के निर्माण में सहायक हो सकता है।

मुख्य शब्दः *गांधीवाद, अम्बेडकरवाद, सामाजिक समरसता, सामाजिक न्याय, जाति व्यवस्था, समानता, लोकतंत्र.*

प्रस्तावना

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, जहाँ विविध धर्म, भाषाएँ, संस्कृतियाँ एवं सामाजिक समूह निवास करते हैं। विविधता के बावजूद सामाजिक असमानता, जातिगत भेदभाव, सामाजिक बहिष्करण जैसी समस्याएँ लंबे समय तक विद्यमान रही हैं।

भारतीय समाज में सामाजिक समरसता और सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु गांधीजी एवं डॉ. अम्बेडकर का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोनों विचारकों ने समाज सुधार की आवश्यकता को स्वीकार किया, किंतु उनके दृष्टिकोण और कार्यपद्धति में महत्वपूर्ण अंतर दिखाई देता है। गांधीजी सामाजिक परिवर्तन को नैतिक एवं आध्यात्मिक आधार पर स्थापित करना चाहते थे, जबकि अम्बेडकर सामाजिक संरचना में मूलभूत परिवर्तन और संवैधानिक अधिकारों को आवश्यक मानते थे।

सामाजिक समरसता एवं सामाजिक न्याय : वैचारिक आधार

सामाजिक समरसता

सामाजिक समरसता का अर्थ है समाज के विभिन्न वर्गों, जातियों, धर्मों, भाषाओं और समुदायों के बीच आपसी सहयोग, सौहार्द्र और सम्मान की स्थिति। इसके प्रमुख तत्व हैं— भाईचारा, सहिष्णुता, सामाजिक एकता, परस्पर सम्मान, अहिंसा। यह केवल कानून और नीतियों के द्वारा नहीं आती, बल्कि इसके लिए समाज के मानसिक और व्यवहारिक स्तर पर भेदभाव और असमानता को समाप्त करना आवश्यक है। जब समाज के प्रत्येक सदस्य को यह अनुभव हो कि उसका स्थान सुरक्षित और सम्मानजनक है, तभी समरसता साकार होती है।

सामाजिक न्याय

सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज के सभी व्यक्तियों को समान अवसर, समान अधिकार और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराना। इसके प्रमुख तत्व हैं -समानता, स्वतंत्रता, मानवाधिकार, सामाजिक सुरक्षा, अवसरों की समानता। सामाजिक न्याय का तात्पर्य समाज के सभी व्यक्तियों और सामाजिक समूहों के साथ निष्पक्ष और समतापूर्ण व्यवहार से है। इसमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएँ शामिल हैं जो निष्पक्षता, समानता, समावेशिता और आत्मनिर्णय को बढ़ावा देती हैं, खासकर हाशिए पर रहने वाली आबादी के लिए। सामाजिक न्याय को अक्सर न्याय के समकक्ष माना जाता है, जो संसाधनों, अवसरों और जिम्मेदारियों के न्यायसंगत वितरण पर जोर देता है। इसका उद्देश्य ऐसी परिस्थितियाँ बनाना भी है जो व्यक्तिगत आत्म–विकास का समर्थन करें और नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों सहित मानवाधिकारों की रक्षा करें। सामाजिक न्याय एक सैद्धांतिक अवधारणा और एक व्यावहारिक लक्ष्य दोनों है, जो सामाजिक और राजनीतिक सुधार के आंदोलनों को प्रेरित करता है। यह एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहता है जो निष्पक्षता को महत्व देता हो, विविध पहचानों का सम्मान करता हो और सभी के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करता हो।

गांधीवाद का सामाजिक समरसता संबंधी दृष्टिकोण

गांधीजी सामाजिक समरसता को भारतीय समाज की स्थिरता का आधार मानते थे। महात्मा गांधी के लिए सामाजिक समरसता (समाज में एकता, सामंजस्य और सद्भाव) राष्ट्रीय स्वतंत्रता और विकास की आधारशिला थी। उनका मानना था कि "जब तक समाज में एकता का अभाव रहेगा, तब तक हम गुलामी की जंजीरों से मुक्त नहीं हो सकते" ।

सत्य एवं अहिंसा

गांधीजी के अनुसार सामाजिक संघर्षों का समाधान हिंसा नहीं बल्कि अहिंसा और संवाद द्वारा संभव है। गांधीजी का मानना था कि अहिंसा कायरों का हथियार नहीं है यह कमजोर व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कोई लाचारी नहीं है, बल्कि यह मजबूत और साहसी लोगों का सर्वोच्च गुण है। जो व्यक्ति अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए जान की बाजी लगाने का साहस रखता है, वही वास्तव में अहिंसक हो सकता है उनके दर्शन में सत्य और अहिंसा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उनके अनुसार, बिना अहिंसा के कोई व्यक्ति सच्चे अर्थों में सत्य का पालन नहीं कर सकता उनका मानना था कि सत्य साध्य (लक्ष्य) है और अहिंसा उस लक्ष्य तक पहुँचने का एकमात्र सही साधन है। गांधीजी का मानना था कि अहिंसा किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है । इसका उद्देश्य संपूर्ण विश्व के साथ सामंजस्य और भाईचारा (सदभाव) स्थापित करना है ।

सर्वोदय

सर्वोदय का अर्थ है - सभी का कल्याण। गांधीजी समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान को सामाजिक समरसता की शर्त मानते थे। गांधीजी के सर्वोदय आंदोलन का उद्देश्य समस्त जन कल्याण था। यह आंदोलन समाज के दोनों वर्गों, धनी और गरीब, के उत्थान पर केंद्रित था। इसने धर्म, जाति, पंथ, रंग, लिंग या आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। इस आंदोलन का लक्ष्य था कि प्रत्येक मनुष्य के साथ समान व्यवहार किया जाए।

सर्वधर्म समभाव

धार्मिक सहिष्णुता गांधीवादी समाज की प्रमुख विशेषता है। महात्मा गांधी के लिए 'सर्वधर्म समभाव' का अर्थ सभी धर्मों के प्रति समान आदर और श्रद्धा था। गांधीजी की धार्मिक दृष्टि ने धर्मों की समानता पर जोर दिया। अपने रचनात्मक कार्यक्रम में, गांधीजी ने सभी धर्मों के लिए समान सम्मान को राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की दिशा में पहला कदम बनाया। गांधीजी का दृढ़ विश्वास था कि कोई भी धर्म किसी अन्य धर्म से निम्न या श्रेष्ठ नहीं है। गांधीजी ने जीवन भर सांप्रदायिक हिंसा और युद्ध के पंथ के खिलाफ संघर्ष किया। गांधीजी ने सांप्रदायिकता के सभी रूपों का विरोध किया।

अस्पृश्यता उन्मूलन

गांधीजी ने अस्पृश्यता को ष्राष्ट्रीय पापष कहा और इसके उन्मूलन हेतु व्यापक जनजागरण किया। महात्मा गांधी अस्पृश्यता (छुआछूत) को हिंदू धर्म पर एक अमिट कलंक और मानवता के विरुद्ध एक बड़ा पाप मानते थे। उनका मानना था कि इसके बिना सच्चे स्वराज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। गांधी जी का मानना था कि अस्पृश्यता को केवल कानूनों से नहीं मिटाया जा सकता। इसके लिए सवर्ण हिंदुओं के दृष्टिकोण और उनके हृदय में परिवर्तन लाना अनिवार्य है। उन्होंने अछूत कहे जाने वाले वर्गों को श्हरिजनश (ईश्वर की संतान) नाम दिया ताकि उन्हें समाज में गरिमा और सम्मान मिल सके। वे चाहते थे कि दलितों को मंदिर, सार्वजनिक कुओं, और स्कूलों तक सभी जातियों के समान अधिकार प्राप्त हों। अस्पृश्यता को जड़ से मिटाने के लिए उन्होंने 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। वे वर्ण–व्यवस्था के समर्थक थे, लेकिन उनका मानना था कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता और जन्म के आधार पर किसी को भी अछूत या नीचा मानना अधर्म है।

अम्बेडकरवाद का सामाजिक न्याय संबंधी दृष्टिकोण

जाति–उन्मूलन

अम्बेडकर के अनुसार जाति व्यवस्था सामाजिक अन्याय का मूल कारण है। डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के जाति उन्मूलन संबंधी विचार उनकी प्रसिद्ध रचना 'एनिहिलेशन ऑफ कास्ट' (Annihilation of Caste / जाति का विनाश) में स्पष्ट रूप से बताये हैं। अम्बेडकर का मानना था कि जाति प्रथा केवल श्रम का विभाजन नहीं है, बल्कि यह श्रमजीवियों का अमानवीय विभाजन है, जो व्यक्ति की योग्यता को नजरअंदाज कर जन्म से ही उसका कार्य और सामाजिक स्तर तय कर देती है। जाति व्यवस्था सीढ़ीनुमा होती है, जहाँ हर जाति अपने नीचे वाली जाति को हीन समझती है। यह व्यवस्था समाज में भाईचारे और एकता को पूरी तरह खत्म कर देती है। उनके अनुसार, जाति व्यवस्था की जड़ें हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों और शास्त्रों में हैं। जब तक इन ग्रंथों की अपवित्रता और उनकी अचूकता (infallibility) में विश्वास खत्म नहीं होगा, तब तक जाति का उन्मूलन असंभव है। उनका मानना था कि छोटे–मोटे सुधार जैसे 'सह–भोज' (inter&dining) नाकाफी हैं। वास्तविक समाधान अंतरजातीय विवाह (inter&caste marriages) को बढ़ावा देना है, ताकि सामाजिक रक्त का मिश्रण हो और जातियों की दीवारें टूट सकें । उनके अनुसार, राजनैतिक स्वतंत्रता तब तक अर्थहीन है जब तक कि सामाजिक समता न हो। जाति के विनाश के बिना वास्तविक लोकतंत्र और राष्ट्र निर्माण संभव नहीं है। अम्बेडकर का मानना था कि एक समतामूलक समाज के लिए जाति का विनाश अत्यंत आवश्यक है।

शिक्षा का महत्व

उन्होंने शिक्षा को सामाजिक मुक्ति का सबसे प्रभावी साधन माना। डॉ. बी.आर. अम्बेडकर शिक्षा को सामाजिक मुक्ति, सशक्तिकरण और समानता का सबसे बड़ा हथियार मानते थे। वे मानते थे कि शिक्षा के बिना वंचितों का उद्धार असंभव है। उनका प्रसिद्ध कथन है, ष्शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा।ष उनका मानना था कि शिक्षा से ही व्यक्ति में आत्म–सम्मान, साहस और सही–गलत की समझ पैदा होती है।बाबा साहेब ने शिक्षा को अंधविश्वास, आर्थिक शोषण और सामाजिक उत्पीड़न की बेड़ियों को तोड़ने का एकमात्र माध्यम माना।वे जाति, लिंग या वर्ग के आधार पर शिक्षा के किसी भी भेदभाव के खिलाफ थे। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं और दलितों के शिक्षा के अधिकार पर जोर दिया।उनका मानना था कि जब समाज का हर वर्ग शिक्षित होगा, तभी एक मजबूत, समतावादी और लोकतांत्रिक राष्ट्र का निर्माण हो सकता है।

संवैधानिक अधिकार

अम्बेडकर ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में वंचित वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु संवैधानिक प्रावधानों का समर्थन किया। डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार, संवैधानिक अधिकारों का उद्देश्य केवल राजनीतिक ढांचा प्रदान करना नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना था ।अम्बेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)को श्संविधान का हृदय और आत्माश कहा । उनका मानना था कि यदि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कोई न्यायिक उपाय नहीं है, तो पूरा संविधान अर्थहीन हो जाता है ।उन्होंने छुआछूत और जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए समानता के अधिकारों को अनिवार्य माना । उनके लिए इसका मतलब सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान अवसर और संरक्षण देना था । अम्बेडकर के अनुसार, एक वास्तविक लोकतंत्र वही है जहाँ अल्पसंख्यकों और समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा बहुसंख्यकों के अत्याचार से की जा सके। इसके लिए उन्होंने विशेष सुरक्षा उपायों और आरक्षण की वकालत की ।

स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व

अम्बेडकर के अनुसार ये तीनों सिद्धांत सामाजिक न्याय के आधार स्तंभ हैं। डॉ. बी.आर. अंबेडकर के अनुसार, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व (भाईचारा) एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। अंबेडकर के लिए स्वतंत्रता का मतलब केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं था, बल्कि व्यक्ति की मानसिक, सामाजिक और आर्थिक मुक्ति था। जाति–व्यवस्था से मुक्ति: उनका मानना था कि जब तक जाति–व्यवस्था और छुआछूत मौजूद है, तब तक कोई व्यक्ति स्वतंत्र नहीं हो सकता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता: उन्होंने हर व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार विकास करने और अपने विचार रखने की स्वतंत्रता का पुरजोर समर्थन किया। अंबेडकर ने राजनीतिक लोकतंत्र के साथ–साथ सामाजिक और आर्थिक समानता पर विशेष जोर दिया। समान अवसर: उनके अनुसार समाज में इंसान की कीमत उसकी काबिलियत से तय होनी चाहिए, न कि उसकी जाति या जन्म से। स्त्री–पुरुष समानता: उन्होंने महिलाओं को समान अधिकार, शिक्षा और सम्मान दिलाने की वकालत की, जिसके लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल भी प्रस्तुत किया था। उनके लिए बंधुत्व का अर्थ एक ऐसा समाज था जहाँ

धर्म, जाति या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव न हो और सभी नागरिक आपस में एकजुट होकर रहें।

अंबेडकर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को अलग–अलग हिस्सों के रूप में नहीं देखते थे। उनका प्रसिद्ध कथन था किरू "समानता के बिना, स्वतंत्रता कुछ ही लोगों की दूसरों पर श्रेष्ठता स्थापित करेगी" व "स्वतंत्रता के बिना, समानता व्यक्तिगत पहल को खत्म कर देगी"।

गांधीवाद एवं अम्बेडकरवाद रू तुलनात्मक विश्लेषण

आयाम	गांधीवाद	अम्बेडकरवाद
मूल लक्ष्य	सामाजिक समरसता	सामाजिक न्याय
परिवर्तन का माध्यम	नैतिक सुधार	कानूनी एवं संरचनात्मक सुधार
जाति व्यवस्था	सुधारवादी दृष्टिकोण	पूर्ण उन्मूलन
लोकतंत्र	नैतिक लोकतंत्र	संवैधानिक लोकतंत्र
आर्थिक दृष्टिकोण	ट्रस्टीशिप	राज्य हस्तक्षेप
सामाजिक परिवर्तन	आत्मशुद्धि	संघर्ष एवं संगठन
अंतिम उद्देश्य	सद्भावपूर्ण समाज	समानतामूलक समाज

चर्चा एवं विश्लेषण

गांधीजी और अम्बेडकर दोनों भारतीय समाज की समस्याओं के समाधान हेतु प्रतिबद्ध थे। गांधीजी सामाजिक समरसता को प्राथमिकता देते थे, जबकि अम्बेडकर सामाजिक न्याय को। गांधीवादी दृष्टिकोण समाज में नैतिक चेतना और भाईचारे को विकसित करता है, जबकि अम्बेडकरवादी दृष्टिकोण सामाजिक एवं संस्थागत असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करता है। समकालीन भारत में केवल सामाजिक समरसता पर्याप्त नहीं है यदि न्याय का अभाव हो, और केवल सामाजिक न्याय भी पर्याप्त नहीं है यदि समाज में सद्भाव और विश्वास न हो। इसलिए दोनों विचारधाराओं का समन्वय अधिक प्रभावी प्रतीत होता है।

निष्कर्ष

अध्ययन से स्पष्ट होता है कि गांधीवाद और अम्बेडकरवाद भारतीय समाज सुधार की दो महत्वपूर्ण विचारधाराएँ हैं। गांधीजी ने नैतिक मूल्यों, अहिंसा और सामाजिक समरसता को महत्व दिया, जबकि अम्बेडकर ने सामाजिक न्याय, समानता और संवैधानिक अधिकारों को प्राथमिकता दी। वर्तमान भारत में सामाजिक समरसता और सामाजिक न्याय दोनों की आवश्यकता है। गांधीवादी नैतिकता और अम्बेडकरवादी सामाजिक न्याय का समन्वय ही एक समावेशी, लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना का आधार बन सकता है।

सुझाव

शिक्षा प्रणाली में गांधी एवं अम्बेडकर के विचारों को समावेशी रूप से शामिल किया जाए। जातिगत भेदभाव के विरुद्ध संवैधानिक प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन हो। सामाजिक सद्भाव और अंतर–सामुदायिक संवाद को बढ़ावा दिया जाए। लोकतांत्रिक मूल्यों एवं मानवाधिकारों के प्रति जन–जागरूकता बढ़ाई जाए। सामाजिक न्याय और सामाजिक समरसता को विकास नीतियों का आधार बनाया जाए।

संदर्भ सूची

1. Ambedkar, B. R. (1936/2014). *Annihilation of caste*. Navayana.
2. Ambedkar, B. R. (1946/2014). *Who were the Shudras?* Navayana.
3. Ambedkar, B. R. (1948/2014). *The untouchables: Who were they and why they became untouchables?* Navayana.
4. Ambedkar, B. R. (1957). *The Buddha and his Dhamma*. Siddharth College Publications.
5. Gandhi, M. K. (1909/2009). *Hind Swaraj or Indian home rule*. Navajivan Publishing House.
6. Gandhi, M. K. (1927/2007). *An autobiography: The story of my experiments with truth*. Penguin Books.
7. Gandhi, M. K. (1958–1994). *The collected works of Mahatma Gandhi* (Vols. 1–100). Publications Division, Government of India.
8. Chatterjee, M. (1983). *Gandhi's religious thought*. University of Notre Dame Press.
9. Parekh, B. (1997). *Gandhi: A very short introduction*. Oxford University Press.
10. Parel, A. J. (Ed.). (1997). *Hind Swaraj and other writings*. Cambridge University Press.
11. Jaffrelot, C. (2005). *Dr. Ambedkar and untouchability: Analysing and fighting caste*. Permanent Black.
12. Keer, D. (2009). *Dr. Ambedkar: Life and mission* (4th ed.). Popular Prakashan.
13. Omvedt, G. (2008). *Seeking begumpura: The social vision of anti-caste intellectuals*. Navayana.
14. Omvedt, G. (2012). *Ambedkar: Towards an enlightened India*. Penguin Books India.
15. Rodrigues, V. (Ed.). (2002). *The essential writings of B. R. Ambedkar*. Oxford University Press.
16. Yadav, Y., & Palshikar, S. (2008). Ambedkarism and Indian democracy. *Economic and Political Weekly, 43*(41), 32–38.
17. Guru, G. (2009). *Humiliation: Claims and contexts*. Oxford University Press.
18. Zelliot, E. (2013). *From untouchable to Dalit: Essays on the Ambedkar movement*. Manohar Publishers.